भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1422

गुरूवार, 31 जुलाई, 2025/9 श्रावण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और सतत पर्यटन

1422 श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाईः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अत्यधिक भीड़भाड़ और अतिक्रमण के कारण सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों को हुए नुकसान से संबंधित कोई प्रमाण या रिपोर्टें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय समुदायों की आजीविका और पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा के लिए कोई व्यापक नीति तैयार की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या धार्मिक और आस्था-आधारित पर्यटन स्थलों पर भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए राष्ट्रीय मानक विकसित किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने पारिस्थितिक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील पर्यटन स्थलों के लिए "वहन क्षमता आकलन" किया है, और क्या ऐसे मूल्यांकनों के आधार पर कोई सुधारात्मक उपाय लागू किए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों सहित पर्यटन स्थलों का विकास, संवर्धन, प्रबंधन एवं रखरखाव मुख्य रूप से राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की ज़िम्मेदारी है।

पर्यटन मंत्रालय ने देश में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों एवं पर्यटन व्यवसायियों को स्थायी पर्यटन कार्यपद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सतत पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की है और "ट्रैवल फॉर लाइफ" कार्यक्रम शुरू किया है।

पर्यटन और गंतव्य-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए सतत और जिम्मेदारीयुक्त स्थलों के विकास के उद्देश्य से मंत्रालय की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना शुरू की गई है।

मंत्रालय, आगंतुकों को एक समृद्ध पर्यटन अनुभव प्रदान करने हेतु पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सुविधाओं के विकास हेतु 'स्वदेश दर्शन', 'राष्ट्रीय तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान संबंधी मिशन (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' नामक योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके विरासत पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है।

(ङ): पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल के वर्षों में पारिस्थितिक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील पर्यटन स्थलों की वहन क्षमता का आकलन करने के लिए ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

****